

**बिहार सरकार,
मानव संसाधान विकास विभाग।**

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या :— 7 नि० 3-02/06 अंश "ख" 3149

दिनांक:—25.08.2008

भारत—संविधान के अनुच्छेद 243 ब बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**— (1) यह नियमावली “बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2008” कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के नियम 4 के उपनियम (1) का संशोधन।**— उक्त नियमावली के नियम 4 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :—

“(1) शिक्षकों की अध्यपेक्षा के अनुसार दोनों स्तरों पर कोटिवार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का पैनल अलग—अलग तैयार किया जायेगा। सर्वप्रथम प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन किया जायेगा। अवशेष रिक्तियों पर अप्रशिक्षित शिक्षकों (शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद को छोड़कर) का नियोजन किया जा सकेगा।

परन्तु अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेघा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा संचालित लोक शिक्षण केन्द्रों के लोकशिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व में शिक्षामित्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक, तथा बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित प्रयास केन्द्र, अंगना/अपना विद्यालय बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को सम्यक् अधिभार (वेटेज) दिया जायेगा।

अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए दो वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।”

3. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम—5 का संशोधन।**— नियम 5 के उपनियम (ख) एवं (ग) निम्नलिखित उपनियम (ख) द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा उपनियम (घ) पुनर्संख्यांकित उपनियम (ग) समझा जायेगा :—

(ख) प्रत्येक कोटि में (शारीरिक शिक्षा शिक्षक को छोड़कर) न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जायेगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद के लिए प्रशिक्षित महिला उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसे उसी कोटि के पुरुष प्रशिक्षित उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।"

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम (क) के खण्ड 2 का संशोधन ।— उक्त नियमावली के नियम-8 के उपनियम (क) 2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा –

" 2 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक /इन्टरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो किन्तु इसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पौलिटेक्निक, यूनानी शिक्षा आदि) शारीरिक शिक्षा, प्राच्यभाषा /भाषा विशेष से सम्बन्धित डिग्री (मौलवी, उप शास्त्री) तथा स्वैच्छिक स्तरानां द्वारा प्रदत्त समरूप डिग्री (विभाग द्वारा निर्णीत) सामान्य शिक्षक पद पर नियोजन हेतु सम्मिलित नहीं है।"

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम (क) के खण्ड 3 के परन्तुक में संशोधन ।— परन्तुक में "प्रथम" शब्द "प्रथम एवं द्वितीय" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम (ख) का संशोधन ।— नियम 8 के खंड (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

(ख) नियोजन वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय। विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जायेगी;

परन्तु प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षक के प्रथम एवं द्वितीय नियोजन में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अधिकतम उम्रसीमा शिथिल रहेगी।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 का उपनियम (iv) के खण्ड (क) का संशोधन ।—

नियम 9 के उपनियम (iv) के खण्ड (क) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :—

"परन्तु नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के मामले में 1 वर्ष या अधिक शिक्षण अनुभव के लिए 20 अंक उनके मेघा अंक में जोड़े जायेंगे।"

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 (xii) का संशोधन ।— नियम 9 के उपनियम (xii) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :—

"परन्तु नगर शिक्षक के पदस्थापन में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों का पदस्थापन मध्य विद्यालय में हो जिसमें से न्यूनतम दो शिक्षक विज्ञान के हों। स्नातक योग्यताधारी विज्ञान शिक्षक नहीं मिलने पर इन्टर योग्यताधारी विज्ञान शिक्षक का पदस्थापन प्राथमिकता से किया जायेगा।"

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 15 का प्रतिस्थापन ।— नियम 15 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—


‘15 छुट्टी’ – (i) नगर प्रारंभिक शिक्षक को वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश देय होगा, जिसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। शिक्षक यदि स्वयं प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक हो तो उपर्युक्त अवकाश एवं शिक्षिकाओं को 135 दिनों का मातृकावकाश प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर नगर निगम के मामले में महापौर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मामले में उनके अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। मातृकावकाश का लाभ मात्र दो सन्तानों के लिए ही अनुमान्य होगा। आकस्मिक अवकाश एक साथ 12 दिनों से अधिक नहीं दिया जा सकेगा।

(2) उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त विशेष कारणवश वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश देय होगा। अवैतनिक अवकाश प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर नगर निगम के मामले में महापौर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी तथा नगर परिषद एवं पंचायत के मामले में उनके अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुपस्थित रहने पर वेतन नहीं दिया जायेगा एवं इस अवधि को सेवा में टूट मानी जायेगी। 3 माह तक बिना पर्याप्त कारण के लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में नियोजन समिति के द्वारा उन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जायेगी।”

10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 18 का संशोधन – नियम 18 को निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जायेगा :-

“18 अप्रैल :– इस नियमावली के अधीन नियोजन से सम्बन्धित अपील सुनने की शक्ति जिला स्तर पर सरकार द्वारा गठित एक या एक से अधिक सदस्यों की प्राधिकार को होगी। मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा प्राधिकार की स्थापना एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किया जायेगा। अपीलीय प्राधिकार का गठन सेवा निवृत बिहार न्यायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों एवं शिक्षाविदों से किया जायेगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 7 / नि० 3-02/06 अंश “ख” 3149 पटना, दिनांक :– 25.08.2008

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय निरीक्षका–बिहार, पटना /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी विद्यालय उप निरीक्षिका/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार

पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय/सभी ग्राम पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

म.ता.
~११०८

(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :— 7 / नि० 3-02/06 अंश "ख" 3149

पटना, दिनांक :— 25.08.2008

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे अगले असाधारण गजट में प्रकाशित करें तथा 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार पटना को उपलब्ध करावें।

म.ता.
~११०८

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।